75

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

रि0 - 3190 - I-16

प्र0क0............/15–16 पुर्नाविलोकन

रामवीर पुत्र नत्थी सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना ....आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 19/9/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1–बालमुकन्द पुत्र नत्थी सिह

2–उदयभान सिंह पुत्र नत्थी सिंह

जाति ठाकुर निवासी ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना ....अनावेदक

19/9/16

पुर्नाविलोकन आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 05/08/2016

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क0

R 2622 निगरानी अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना में स्थित खाता क्र0 523 सर्वे क्र0 1393 रकवा 0.18, सर्वे क्र0 1618 रकवा 0.09, सर्वे क्र0 1619 रकवा 0.10, सर्वे क्र0 1620 रकवा 0.18, सर्वे क्र0 1621 रकवा 0.50, सर्वे क्र0 1622 रकवा 0.20, सर्वे क्र0 1623 रकवा 0.34, कुल किता 7 कुल रकवा 1.59, के आवेदक व अनावेदक समान भाग के भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है एवं खाता क्र0 127 सर्वे क्र0 1164 रकवा 0.16, के आवेदक व अनावेदक के साथ कलावती पत्नी नत्थी सिंह सह स्वामी होकर आधिपत्यधारी होकर पटवारी कागजात में अंकित है।

2– यह कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा उक्त खातों का बटबारा हेतु आवेदन पत्र तहसील दार महोदय अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र0क0 10/15–16× अ/27 पर पंजीबद्व किया गया।

3– यह कि आवेदक द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि धारा 178 म0प्र0भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत खाते का बटबारा किया जाता है। खातों का नहीं। तथा यह भी आपत्ति की कि दोनों खातों में भिन्न पक्षकार होने से पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। आवेदक का आवेदन प्रचलन योग्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को पारित आदेश दिनांक 27/7/2016 द्वारा अबैध व मनमाने आधार पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –3190–एक/16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
4.5.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2622–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.08.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3190–एक/16 के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2622–एक/2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.08.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 3190–एक/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य